न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2023/	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/84/2025	2025/382	23.09.2025	22.04.2026

1– मंगल सिह पुत्र स्व0 किशन सिंह,

2– लहरी राम पुत्र स्व0 किशन सिंह जाति अहीर निवासी गाम टांकाहेडी तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

1– तहसीलदार किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा।

रेस्पॉडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार किशनगढबास दिनाक 20.05.2025 नामान्तकरण संख्या 624 वाके ग्राम टांकाहेडी तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा।

उपस्थित–

01. श्री हरीश कुमार –वकील अपीलान्ट

–:निर्णय:–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार किशनगढबास द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 624 निर्णय दिनांक 20.05.2025 वाके ग्राम टांकाहेडी तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि खाता संख्या 104 में वर्णित आराजी खसरा न0 26 रकबा 0.8000 है0 हिस्सा 1/9 मिन अपीलान्टान की स्वर्गीय माताजी श्रीमती मूर्ती देवी पत्नी किशनलाल उर्फ किशनसिंह के हक हिस्से की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी है, मिन अपीलान्टान की माताजी का देहान्त दिनाक 19.04.2024 को हो गया। मिन अपीलान्टान द्वारा अपनी माताजी के हक हिस्से की आराजी का नामान्तकरण राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने हेतु रेस्पोडेन्ट के यहा आवेदन किया गया जिस पर रेस्पोडेन्ट के अधीनस्थ अधिकारी व कर्मचारी द्वारा जॉच करते हुये नामान्तकरण संख्या 624 दिनाक 20.05.2025 वाके ग्राम टांकाहेडी तहसील किशनगढबास दर्ज किया गया जिस पर तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी द्वारा अपना निर्णय दिनाक 27.06.2025 जारी करते हुये निर्णय दिया कि प्रार्थी के पिता का नाम किशनलाल व किशन चन्द अलग–अलग नाम है जिसके कारण नामान्तकरण खारिज कर दिया गया है। नामान्तकरण में वर्णित आराजी की बाबत अपीलान्टान द्वारा अपने पिता का नाम किशन चन्द किसी भी प्रकार दर्ज नही किया गया था, और न ही अपीलान्टान के पिता का नाम किशन चन्द है, जबकि वास्तविकता यह है, कि अपीलान्टान के पिता

जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राज०)

का देहान्त दिनाक 21.04.2010 को हो गया है, जिनके मृत्यु प्रमाण–पत्र में नाम किशन सिंह उर्फ किशनलाल दर्ज हो रहा है। उक्त आराजी हर प्रकार से पाक–साफ है, जिस पर किसी प्रकार का कोई ऋण अथवा स्थगन आदेश अथवा अन्य कोई कार्यवाही किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नही है। अपीलान्टान के द्वारा अपनी माताजी का विरासत का नामान्तकरण दर्ज करवाते समय समस्त दस्तावेजात रेस्पोडेन्ट के समक्ष प्रस्तुत कर दिये थे। किन्तु रेस्पोडेन्ट ने बिना दस्तावेजो का अवलोकन किये रेस्पोडेन्ट ने किसी प्रकार कोई गौर नही किया और पटवारी हल्का द्वारा की गयी जॉच/रिपोर्ट पर भी कोई गौर नही किया गया और बेजा तोर पर अपीलान्टान का नामान्तकरण निरस्त कर अहम भूल की गयी है। मिन अपीलान्टान के पिताजी का नाम किशनसिंह है, तथा मिन अपीलान्टान के आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजात में पिताजी का नाम किशनसिंह दर्ज हो रहा है। रेस्पोडेन्ट के द्वारा दस्तावेजो का बारिकी से अवलोकन नही किया गया। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय की जानकारी मिन अपीलान्टान को पूर्व में नही थी सर्वप्रथम जानकारी दिनाक 17.07.2025 पारित निर्णय की नकल प्राप्त करने पर जानकारी में आया। जानकारी होने पर कानूनी सलाह मशवरा कर बिना देरी किये अपील पेश की गयी है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय के विरूद्व अपील किये जाने में हुऐ विलम्ब को माफ किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 पेश कर निवेदन है, कि अपील अपीलान्टान अन्दर मियाद ग्रहण की जाकर तहत अदालत अदालत द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एंव वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम पर विचार किया। अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 624 वाके ग्राम टांकाहेडी तहसील किशनगढबास के विरूद्व 04 माह पश्चात अत्याधिक विलम्ब से पेश की गयी है, हम अपील का विधिवत निस्तारण केवल दफा 5 को आधार मानकर निस्तारण किया जाना उचित नही समझते है, बल्कि अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया ज़ाना उचित समझते है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 20.05.2025 की जानकारी अपीलान्ट को दिनाक 17.07.2025 को होना अंकित किया गया है, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर द्वारा भी विभिन्न द्वष्टान्तो में मियाद के बिन्दू नरमी का रूख अपनाने का सिद्वान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि खाता संख्या 104 में वर्णित आराजी खसरा न0 26 रकबा 0.8000 है0 हिस्सा 1/9 अपीलान्टान की स्वर्गीय माता मूर्ती देवी पत्नी किशनलाल उर्फ किशनसिंह के हक हिस्से की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी है, अपीलान्टान की माता का देहान्त दिनाक 19.04.2024 को हो गया। अपीलान्टान द्वारा माता के हक हिस्से की आराजी का नामान्तकरण राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने हेतु तहत अदालत के समक्ष आवेदन किया गया। जिस पर रेस्पोडेन्ट तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्णय दिनाक 27.06.2025 पारित करते हुऐ कि प्रार्थी के पिता का नाम किशनलाल व किशन चन्द अलग–अलग नाम है, अंकित करते हुऐ नामान्तकरण संख्या 624 दिनाक 20.05.2025 वाके ग्राम टांकाहेडी खारिज किया गया है। तहत अदालत के रिकार्ड का अवलोकन किया गया। नामान्तकरण संख्या 624 वाके ग्राम टांकाहेडी खाता संख्या 104 में वर्णित आराजी खसरा न0 26 खातेदार मूर्ति देवी पत्नी किशनलाल के नाम दर्ज रिकार्ड है, पटवारी हल्का द्वारा विरासत का नामान्तकरण अपीलान्टान के नाम कमशः मंगलराम पुत्र किशनसिंह, लहरी राम पुत्र किशन सिंह के नाम दर्ज किया गया है, अपीलान्ट द्वारा अपील के संलग्न पिता का मृत्यु प्रमाण–पत्र

जिला कलक्टर
जिला खैरथल–तिजारा (राज०)

की प्रति पेश की गयी है, जिसमें अपीलान्टान के पिता का नाम किशनसिंह उर्फ किशनलाल दर्ज किया हुआ है, ऐसी स्थिति में तहत अदालत द्वारा एक पक्षीय निर्णय पारित किया गया है, अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है, तहत अदालत तहसीलदार किशनगढबास द्वारा पारित निर्णय नामान्तकरण संख्या 624 वाके ग्राम टांकाहेडी निर्णय दिनाक 20.05.2025 निरस्त किया है। प्रकरण इस निर्देश के साथ तहत अदालत को प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि अपीलान्ट के मृतक पिता किशनसिंह के नाम के बाबत पुनः जॉच कर अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर विधिवत पुनः निर्णय पारित करे। पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 22.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अतुल प्रकाश)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा
जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)